भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 306
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा को आवंटन

306. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन कम कर दिया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो वर्ष 2014 से अब तक इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में कार्यान्वयन के बावजूद मजदूरी में देरी और अपर्याप्त वित्तपोषण का सामना करना पड़ रहा है और इससे मांग में भी कमी आई है और काम के लिए औपचारिक अनुरोध वास्तविक मांग का केवल एक हिस्सा ही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधार-आधारित भुगतान से न तो भ्रष्टाचार कम हुआ है और न ही मजदूरी भुगतान में विलंब रुका है , जबकि इससे कार्यान्वयन के दौरान अधिकारियों और कामगारों के लिए बाधाएं पैदा हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बजट आवंटन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बजट आवंटन 11,300 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के लिए आवंटित बजट 86,000 करोड़ रुपये था, जो बजट अनुमान चरण में इस योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन, बजट अनुमान चरण में 86,000 करोड़ रुपये पर बना हुआ है , जो इस योजना के लिए सरकार की निरंतर सहायता को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस योजना के लिए आवंटित बजट का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)
1	2014-15	34000.00	33000.00
2	2015-16	34699.00	37345.95
3	2016-17	38500.00	48220.26
4	2017-18	48000.00	55167.06
5	2018-19	55000.00	61830.09
6	2019-20	60000.00	71001.81
7	2020-21	61500.00	111500.00
8	2021-22	73000.00	98000.00
9	2022-23	73000.00	89400.00
10	2023-24	60000.00	86000.00
11	2024-25	86000.00	86000.00
12	2025-26	86000.00	-

(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है , जिसके तहत प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना तब एक विकल्प के रूप में कार्य करती है जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता है। मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बातचीत के दौरान इस बात पर जोर देता है कि रोजगार की कोई भी मांग अछूता न रह जाए। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग करता है।

(ग)और(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत , श्रमिकों को सभी मजदूरी भुगतान उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। भुगतान लाभार्थी के आधार नंबर से जूड़े खाते के माध्यम से जमा किया जाता है।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है जहाँ लाभ सीधे श्रमिकों के आधार नंबर के आधार पर उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं , जिससे वितरण प्रक्रिया की कई परतें कम हो जाती हैं। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण , प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने , हेराफेरी पर अंकुश लगाकर व्यापक

समावेशन सुनिश्चित करने और इस प्रकार, अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

एपीबीएस रूपांतरण के अनेक लाभों में से एक यह है कि इससे बैंक खातों के बार-बार बदलने के कारण होने वाले लेनदेन की अस्वीकृति न्यूनतम हो जाती है और डीबीटी का प्रदर्शन अधिकतम हो जाता है। 1 जनवरी, 2024 से 25 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान, खाता न होने या खाता बंद होने आदि जैसे कारणों से रद्द लेनदेन की संख्या , एबीपीएस प्रणाली के मामले में, 8.50% (पूर्ववर्ती एनएसीएच भुगतान मोड के मामले में) से घटकर मात्र 0.41% रह गई है। यह लाभार्थियों के कल्याण के लिए एबीपीएस प्रणालियों के लाभों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।